North Carolina Department

Of Commerce Division of Employment Security

Unemployment insurance

यह टेलीफोन द्वारा होने वाली सुनवाई की सूचना का एक नमूना है। इसके द्वारा आपको जानकारी मिलेगी कि सुनवाई का आयोजन कब किया जाऐगा, इसे कौन आयोजित करेंगा व उसमें किस विषय पर चर्चा की जाऐगी।

विषय में,	अपील के निर्णय का नंबर VII-A-04084
Susan Doe	EMPLOYER
888 North 10th Street	123 anywhere street
Siler City, NC 27344	Anywhere, NC 12345
(XXX) XXX-XXXX	(XXX) XXX-XXXX

दावेंदार : (प्रथम) (अंतिम)

(दिनांक) को < दावेंदार/नियोक्ता>द्वारा अपनी इच्छाशक्ति से न्यायाधीश (नाम) डॉकेट नंबर ##### द्वारा एक अपील फाइल की गई। अपील के रेफरी द्वारा टेलीफोन पर स्पष्टतौर से सुनवाई का आयोजन किया जाऐगा व नीचे प्रर्दशित किए गए विषय पर एक निर्णय लिया जाऐगा।

यदि प्रदर्शित विषय उस विषय से भिन्न हो जो न्यायाधीश द्वारा निर्णित है, तो आप सुनवाई के दौरान उस पर आपत्ति कर सकते हैं व अपील रेफरी द्वारा सबूतों को नही सुना जाऐगा व किसी ऐसे विषय का निश्चय करेगा जिस पर आपके द्वारा बिना किसी अन्य लिखित सूचना के आपत्ति की गई या फिर सुनवाई में आपके द्वारा अन्य छोड़ी गई लिखित सूचना हो।

पक्षों से संपर्क उपरोक्त दर्शाएं गए टेलीफोन नंबरों पर तब तक किया जाऐगा जब तक संलग्न प्रशानवली को विभिन्न टेलीफोन नंबर के साथ भर कर उपलब्ध नही करवा दिया जाता।

सुनवाई की तिथि : (दिन, दिनांक: माह, तिथि, वर्ष)

सुनवाई का समय : (एचएच:एमएम, एएम/पीएम, ईएसटी/ईडीटी) (##) मिनिट के लिए

अपील का रेफरी : (नाम)

टेलीफोन : (XXX) XXX-XXXX फैक्स : (XXX) XXX-XXXX

सुनवाई के विषय :

चाहे दावेंदार हो :

जानकारी के लिए की गई अपील पर समय पर व ठीक प्रकार प्रतिक्रिया देकर हमारी यूआई संबंधी होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में सहायता करें।

North Carolina Department

Of Commerce Division of Employment Security

Unemployment insurance

पाठ्य बॉक्स 1 - 4000 अक्षर

1. यह वह विषय हैं जिन पर चर्चा की जाऐगी।
2.
3.

प्रेषित करने की तिथि : माह/दिन/वर्ष

टेलीफोन द्वारा होने वाली सुनवाई की सूचना

प्रारंभिक उद्देश्य के लिए किस प्रकार अपील की जाए? कृप्या इसकी समीक्षा करें व उस सुनवाई ब्रोशर में भाग ले जिसे आपको पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। ब्रोशर की प्रतियां व समान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर DES की वेबसाइट www.ncesc.com पर उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण : अपनी सुनवाई के लिए तैयार रहें। अपील रेफरी सुनवाई की शुरूआत करने के लिए आपको बुलाऐगें। यदि आप टेलीफोन द्वारा होने वाली सुनवाई के लिए देर करते हैं तो संभवत: सुनवाई शुरू होने के पश्चात आप उसमें सम्मिलित न हो पाऐं। यदि अपील रेफरी सुनवाई शुरू होने के समय से 10 मिनिट के भीतर अपील करने वाले पक्ष तक पहुंचने में सफल नही होता है तो अपील को रद्द किया जा सकता है। यदि अपील का रेफरी सुनवाई के समय से 10 मिनिट के भीतर गैर अपीलकर्ता पक्ष के पास पहुंचने में असफल रहता है तो सुनवाई उन पक्ष के बिना ही आगे बढ़ जाऐगी। यह निश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि अपील रेफरी के पास आपके संपर्क करने के लिए टेलीफोन नंबर व आपके गवाह मौजूद हो।

नोट : यदि आप अपनी सुनवाई के लिए एक मोबाइल फोन या सेल्युलर फोन का उपयोग कर रहें हैं तो यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेंदारी है कि आपको फोन ठीक से काम कर रह हो व आप ऐसे क्षेत्र में मौजूद हो जहां पर सिग्नल ठीक प्रकार से मिल रहा हो। यदि आप लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेंदारी बनती है कि यह सुनिश्चित करे कि आपका फोन ठीक प्रकार से काम कर रहा है व लाइन का इस्तेमाल कोई दूसरा न कर रहा हो।

टेलीफोन या आपके टेलीफोन नंबर के कारण उत्पन्न हुई समस्या की वजह से सुनवाई में भाग लेने में असफल होने का परिणाम इस रूप में सामने आ सकता है कि आपके साक्ष्यों पर विचार न किया जाए अथवा आपकी अपील को रद्द कर दिया जाए।

<u>सबूत किस प्रकार दें </u>: सुस्पष्ट प्रमाणिकरण अनिवार्य है। यदि आप गवाहों का प्रमाणीकरण चाहते हैं तो उन्हें ऐसा सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि आपके पास दस्तावेज, इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स या कोई अन्य साक्ष्य हैं, जिन पर आप चाहते हैं कि सुनवाई के अधिकारी द्वारा विचार किया जाए तो आपको उन्हें सुनवाई के अधिकारियों व प्रत्येक पक्ष को आवश्यक तौर से प्रेषित करना होगा। यह सबूत सभी को सुनवाई से पूर्व अवश्य मिल जाने चाहिए।

<u>ड्रग और/या शराब से संबंधित अलगाव</u> : किसी भी जांच व उसके परिणाम को प्रमाणित या अप्रमाणित करने के लिए सबूतों का होना अनिवार्य है। सबूतों में काम संबंधी नियमों व /या नीतियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना में Controlled Substance Examination Regulation Act, N.C.G.S. 95–230 et seq., की आवश्यकता होती है, जिसकी जांच में इसकी क्रियाविधि नियमावली की आवश्यकताओं का अनुसरण तब तक किया जाता है जब तक जांच को U.S. Department of Transportation or Nuclear Regulatory Commission द्वारा निर्देशित नही किया जाता। सविरोध क्लेम सुनवाई के दौरान एक लैब्रोटरी के प्रतिनिधि द्वारा जीवंत साक्ष्य के बजाय लैब के अधिकृत प्रतिनिधि से प्राप्त हलफनामें को भी नियंत्रित निकाय जांच परिणामों, अभिरक्षा श्रृखंला और/या संघ या राज्य कानून द्वारा आवश्यक सभी जांच व पुन: जांच का अनुसरण करते हुए प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि सुनवाई के दौरान या हलफनामें के द्वारा दावेंदार जांच परिणामों के लिए अपनी स्वीकृति या उन्हें आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करता है तो संभवत: स्वीकृत माना जाऐगा। सुनवाई से पहले कोई भी दस्तावेज जिसे सुनवाई अधिकारियों के पास जमा करवाया गया है, के लिए आवश्यक है कि अन्य पक्षों को भी उपलब्ध करवाया जाए। यदि आप इस संबंध में अपने प्रश्नों का उत्तर चाहतें हैं, तो प्रमुख अपील रेफरी से संपर्क करें।

स्थगन : सुनवाई की तिथि, समय अथवा स्थान में बदलाव संबंधी किसी भी तरह की अपील को अपील रेफरी से किया जाए।

व्यक्तिगत तौर पर होने वाली सुनवाई : आपके पास टेलीफोन द्वारा होने वाली सुनवाई पर आपत्ति करने व व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई करवाए जाने की अपील करने का अधिकार है। इस प्रकार की किसी भी अपील को अपील रेफरी से किया जाए।

कानूनी प्रतिवेदन : कोई भी दावेंदार या नियोक्ता अपनी अपील फाइल कर सकता है व स्वयं को प्रशासनिक अपील प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत (प्रो से) कर सकता है, या फिर एक कानूनी प्रतिनिधि द्वारा अपील फाइल की जा सकती है व उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। किसी भी प्रशासनिक सुनवाई या समीक्षा से पहले कानूनी प्रतिनिधि को नियुक्त कर लिया जाए। एक कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल है, तीसरे पक्ष की कंपनी जोकि नियोक्ता के बेरोजगार बीमा प्रबंधक के तौर पर सेवारत् हैं, से है) को अनिवार्य रूप से लाइसेंसधारी अटार्नी हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे लाईसेंसधारी अटार्नी द्वारा एन.सी.जी.एस के अध्याय 84 व सेक्शन 96- 17 (b) का अनुपालन करते हुए निदेशित किया जा रहा हो। अटार्नी के निर्देशन की सूचना और /या प्रमाण पत्र अनिवार्यत: लिखित रूप में हो।

उपस्थिति पत्र : अपील रेफरी द्वारा गवाहों के लिए उपस्थिति पत्र व उन दस्तावेजों को जारी किया जा सकता है, जो सुनवाई के लिए प्रासंगिक हो। जितनी जल्दी हो सके अपील करें, जिससे कि सुनवाई से पहले उपस्थिति पत्र को भेजा जा सके। कानूनी प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर व विवेकानुसार उपस्थित पत्रों को जारी कर सकते हैं।

....

संपर्क करें : NC Department of Commerce, Division of Employment Security, Appeals Section, PO Box 25903, Raleigh, NC 27611–50 903

प्रतिकृति : (919) 733–1228 फोन : (919)707–1060 des.public.appeals@mccommerce.com

यदि आप अपने केस के बारें में लिखतें या कॉल करते हैं, तो कृप्या दावेंदार का पूरा नाम, दावेंदार के सामाजिक सुरक्षा नंबर के अंतिम चार अंक व अपील डॉकेट नबंर दें।

जानकारी के लिए की गई अपील पर समय पर व ठीक प्रकार प्रतिक्रिया देकर हमारी यूआई संबंधी होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में सहायता करें।

North Carolina Department

Of Commerce Division of Employment Security

Unemployment insurance